बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.02.2025 को अपराह्न 12:30 बजे की कार्यवाही एवं सदस्यों की ऑन लाइन/ऑफ लाइन उपस्थिति–

			हस्ताक्षर
1.	प्रो0 मुकेश पाण्डेय	कुलपति/अध्यक्ष	
2.	प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी	कुलाधिपति नामित सदस्य	
3.	सुश्री सुमन सिंह	कुलाधिपति नामित सदस्य	
4.	श्री समीर बेन्द्रे	कुलाधिपति नामित सदस्य	Online
5.	प्रो0 आर0के0सैनी	संकायाध्यक्ष–विज्ञान	
6.	डा0 सुरेन्द्र सिंह	सकायाध्यक्ष–कृषि संकाय/सदस्य	
7.	प्रो0एम0एम0सिंह	आचार्य/सदस्य	
8.	प्रो0 सौरभ श्रीवास्तव	आचार्य/सदस्य	
9.	प्रो0 विनीत कुमार	आचार्य/सदस्य	
10.	डा0 संजय निभोरिया	सहआचार्य/सदस्य	
11.	डा0 शिप्रा सक्सेना	सहआचार्य/सदस्य	
12.	डा0 अतुल गोयल	सहायक आचार्य/सदस्य	
13.	प्रो0 एस.एस.सिंह	प्राचार्य/सदस्य	
14.	प्रो0 सुशील बाबू	प्राचार्य/सदस्य	
15.	प्रो0 दुर्गेश शुक्ला	प्राचार्य/सदस्य	Online
16.	डा0 सुरेन्द्र सिंह	प्राध्यापक/सदस्य	
17.	डा0 आर0के0गुप्ता	प्राध्यापक/सदस्य	Online
18.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	वित्त अधिकारी	
19.	श्री राजबहादुर	परीक्षा नियंत्रक(विशेष आमंत्री)	
20.	श्री विनय कुमार सिंह	कुलसचिव/सचिव.	

Scanned with OKEN Scanner

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक 01/2025 दिनांक 07.02.2025 की कार्यवाही –

उपस्थिति –

1.	प्रो0 मुकेश पाण्डेय	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो. प्रेम प्रकाश सोलंकी	कुलाधिपति नामिति सदस्य
3.	डा. सुमन सिंह	कुलाधिपति नामिति सदस्य
4.	श्री समीर बेन्द्रे	कुलाधिपति नामिति सदस्य/ ऑनलाइन
5.	प्रो0 आर. के. सैनी	संकायाध्यक्ष– विज्ञान/ सदस्य
6.	डा. सुरेन्द्र सिंह	संकायाध्यक्ष–कृषि/ सदस्य
7.	प्रो. एम. एम. सिंह	सदस्य
8.	प्रो. सौरभ श्रीवास्तव	आचार्य/सदस्य
9.	प्रो. विनीत कुमार	आचार्य/सदस्य
10.	डा. संजय निभौरिया	सह आचार्य/ सदस्य
11.	डा. शिप्रा सक्सेना	सहआचार्य/सदस्य
12.	डा0 अतुल गोयल	सहायक आचार्य/सदस्य
13.	प्रो. एस. एस. सिंह	प्राचार्य/सदस्य
14.	प्रो. सुशील बाबू	प्राचार्य/ सदस्य
15.	प्रो. दुर्गेश शुक्ला	प्राचार्य/ सदस्य
16.	डा. सुरेन्द्र सिंह	प्राध्यापक/ सदस्य
17.	डा0 आर. के. गुप्ता	प्राध्यापक/सदस्य / ऑनलाइन
18.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	वित्त अधिकारी
19.	श्री राजबहादुर	परीक्षा नियंत्रक (विशेष आमंत्री)
20.	श्री विनय कुमार सिंह	कुलसचिव/सचिव.

कार्यवाही –

परिषद् की बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा नामित सदस्य श्री एस. सी. वर्मा – माननीया न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) के निधन पर परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रृद्धांजलि अर्पित की।

कुलसचिव द्वारा परिषद् के सदस्य डा. एन. एस. सेंगर, प्रो. अवनीश कुमार, प्रो. आलोक वर्मा, डा. रितु सिंह, डा. शम्भूनाथ, प्रो. अलका नायक, डा. पूरन प्रकाश पुरवार, डा. सूर्य नारायण का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके द्वारा विश्वविद्यालय के चहुंमुखी विकास में किये गये सहयोग हेतु धन्यवाद दिया गया। साथ ही नव नियुक्त सदस्यों प्रो. सुरेन्द्र सिंह, प्रो. एम. एम. सिंह, प्रो. सौरभ श्रीवास्तव, प्रो. विनीत कुमार, डा. संजय निबौरिया, डा. शिप्रा सक्सेना, प्रो. एस. एस. सिंह, प्रो. दुर्गेश शुक्ला, प्रो. सुशील बाबू का स्वागत किया गया।

इसके पश्चात कुलसचिव द्वारा बड़े हर्ष के साथ परिषद् के समक्ष माननीया कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या ई–9163/जी. एस. दिनांक 09 दिसम्बर 2024 के द्वारा कुलपति प्रो. मुकेश पाण्डेय जी को दिनांक 10.12.2024 से अगले आदेशों तक कुलपति नियुक्त किये जाने एवं आदेश संख्या ई– 203/जी.एस. दिनांक 13 जनवरी 2025 द्वारा कुलपति प्रो. मुकेश पाण्डेय जी को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष हेतु कुलपति नियुक्त किये जाने के आदेशों को प्रस्तुत किया गया तथा जिसके कम में प्रो. मुकेश पाण्डेय जी द्वारा दिनांक 15.01.2025 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से परिषद को अवगत कराया।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से तालियॉं बजाकर हर्ष व्यक्त किया गया तथा माननीया कुलाधिपति महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कुलपति जी के पिछले तीन वर्ष की उपलब्धियों हेतु कुलपति जी को बधाई दी तथा विश्वास दिलाया कि कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में परिषद् अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

इसके उपरान्त कार्यसूची के बिन्दुओं पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की हुई –

1. **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 21.09.2024, 10.10.2024 (आकिस्मक) एवं 29.11.2024 (आकिस्मक) की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।**

   परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठकों दिनांक 21.09.2024, 10.10.2024 (आकिस्मक) एवं 29.11.2024 (आकिस्मक) की कार्यवाहियों की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

2. **वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.24 एवं 05.02.2025 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.24 एवं 05.02.2025 की कार्यवाहियॉं प्रस्तुत की गई। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक, 25.11.2024 एवं 09.01.2025 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.11.2024 एवं 09.01.2025 की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया।

4. **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक. 05.02.2025 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से विद्या परिषद् की बैठक दिनांक. 05.02.2025 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

5. **डा0 अशोक कुमार, पूर्व सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) कृषि विज्ञान विभाग द्वारा, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉंसी के सहायक आचार्य पद से दिये गये त्याग–पत्र सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/2024/7198–205 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में त्याग पत्र स्वीकार किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

   परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डा0 अशोक कुमार, पूर्व सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) कृषि विज्ञान विभाग द्वारा, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉंसी के सहायक आचार्य पद से दिये गये त्याग–पत्र सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/2024/7198–205 दिनांक 05.09.2024 का अनुमोदन किया गया।

6. **डा0 काव्या दुबे, सह आचार्य (एस.एफ.एस.) शिक्षा संस्थान का विश्वविद्यालय पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2024/8355–59 दिनांक 30.11.2024 के द्वारा 24.09.2024 से आगामी एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश को कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा मे स्वीकृत किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

   परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डा0 काव्या दुबे, सह आचार्य (एस.एफ.एस.) शिक्षा संस्थान का दिनांक 24.09.2024 से आगामी एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्गत

2/3/25

21/2/25

विश्वविद्यालय पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2024/8355–59 दिनांक 30.11.2024 का अनुमोदन किया गया।

7. इंजी0 केशव कुमार तिवारी, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) कम्प्यूटर साइंस इंजी0 विभाग विश्वविद्यालय पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2024/ 9002–06 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा 01.01.2025 से 30.06.2025 तक कुल 06 माह के अवैतनिक अवकाश को कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा मे स्वीकृत किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा इंजी0 केशव कुमार तिवारी, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) कम्प्यूटर साइंस इंजी0 विभाग का दिनांक 01.01.2025 से 30.06.2025 तक कुल 06 माह के अवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु निर्गत विश्वविद्यालय पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2024/ 9002–06 दिनांक 04.01.2025 का अनुमोदन किया गया।

8. डा0 सोनम सेठ, सहायक आचार्य(एस.एफ.एस.)गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग विश्वविद्यालय पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2024/8991–95 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा 07.12.2024 से आगामी 06 माह हेतु अवैतनिक अवकाश को कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा मे विस्तारित किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा डा0 सोनम सेठ, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग का दिनांक 07.12.2024 से आगामी 06 माह हेतु अवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु निर्गत विश्वविद्यालय पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2024/8991–95 दिनांक 04.01.2025 का अनुमोदन किया गया।

9. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली–2014 संख्या– वि0 वे0 ने0 (प्रकोष्ठ) 189 /दस–2014–11–2013 दिनांक 22.09.2014 को कार्यपरिषद बैठक दिनांक 26.10.2021 में दिनांक 01.12.2018 से अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत नैत्यिक सहायकों का परिवर्तित पदनाम कनिष्ठ सहायक को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2025/ 9190–9217 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त स्थायी किया है। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली–2014 संख्या– वि0 वे0 ने0 (प्रकोष्ठ) 189 / दस –2014–11–2013 दिनांक 22.09.2014 को कार्यपरिषद बैठक दिनांक 26.10.2021 में दिनांक 01.12.2018 से अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत नैत्यिक सहायकों का परिवर्तित पदनाम **कनिष्ठ सहायक** को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2025/ 9190–9217 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा निम्नांकित कार्मिकों को नियुक्ति तिथि (पद परिवर्तन तिथि से) 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त स्थायी किया गया है।

क.सं.	कर्मचारी का नाम	परिवर्तित पदनाम	पद परिवर्तन की तिथि	प्रस्तावित स्थायीकरण की तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री उमेश करौलिया	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
2	श्रीमती आदर्श कुमारी (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
3	श्रीमती सुशीला देवी (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
4	श्रीमती रेखा रिछारिया (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
5	श्री दीपक उपाध्याय (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
6	श्री ओम प्रकाश	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
7	श्री अखिलेश दुबे	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
8	श्री रमेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
9	श्री धूप नारायण	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
10	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	

Scanned with OKEN Scanner

11	श्री बीरेन्द्र सिंह वर्मा (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
12	श्री रविन्द्र कुमार नायक	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
13	श्री कुन्देश्वर	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
14	श्रीमती नीलम यादव (पैर से दिव्यांग)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
15	श्री विनीत अग्रवाल (दृष्टिहीन)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
16	श्री रौकी वर्मा (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
17	श्रीमती अन्जू आनन्द (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
18	श्री जितेन्द (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	01.12.2018	01.12.2019	
19	श्री दीपक कुमार (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	02.08.2019 (नियुक्ति तिथि)	02.08.2020	
20	श्री उदय प्रताप सिंह (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	02.08.2019 (नियुक्ति तिथि)	02.08.2020	
21	श्री नरेन्द्र राजपूत (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	02.08.2019 (नियुक्ति तिथि)	02.08.2020	
22	श्री मलय व्यास (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	26.08.2021 (नियुक्ति तिथि)	26.08.2022	
23	श्री अभय सिंह राजपूत (मृतक आश्रित)	कनिष्ठ सहायक	26.08.2021 (नियुक्ति तिथि)	26.08.2022	

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उपर्युक्त का अनुमोदन किया गया।

10. **डा0 दीपक कुमार, सहायक आचार्य, भूगर्भ विज्ञान विभाग को पत्र संख्या– बु0वि0 / प्रशा0 / 2025 / 9173–79 दिनांक 21.01.2025 के द्वारा Junior Mining Geologist के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 20.01.2025 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डा0 दीपक कुमार, सहायक आचार्य, भूगर्भ विज्ञान विभाग को पत्र संख्या– बु0वि0 / प्रशा0 / 2025 / 9173–79 दिनांक 21.01.2025 के द्वारा Junior Mining Geologist के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 20.01.2025 के अपराह्न से कार्यमुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही डा. दीपक की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने में शेष दिनों (दिनांक 21.01.2025 से 03.02.2025) को विशेष परिस्थिति स्वीकार करते हुये शिथिलता प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्देश दिया कि इसे भविष्य में उदाहरण न माना जाये।

11. **श्री नवीन चन्द्र पटेल – सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का सी.ए.एस. के अंतर्गत स्टेज 1 से स्टेज 2 (वेतनमान के ग्रेड पे 6000 से 7000) में प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 08.01.2025 में आहूत की गई। समिति द्वारा की गई संस्तुति का बंद लिफाफा परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।**

श्री नवीन चन्द्र पटेल – सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का सी.ए.एस. के अंतर्गत स्टेज 1 से स्टेज 2 (वेतनमान के ग्रेड पे 6000 से 7000) में प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 08.01.2025 में आहूत की गई। समिति द्वारा की गई संस्तुति का बंद लिफाफा परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् के समक्ष बन्द लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा निम्नवत संस्तुति की गई –

> "Shri Naveen Chand Patel – Assistant Professor, Department of Hindi be promoted from Stage I to Stage II (AGP 6000 + AGP 7000) academic level 10 to 11 from 18.10.2022 under CAS, UGC regulation 2018."

परिषद् द्वारा समिति की उपर्युक्त संस्तुति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

12. डा. जे. श्रीदेवी – उप पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का सी.ए.एस. के अंतर्गत ग्रेड पे 9000 से ग्रेड पे 10000 में प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 05.02.2025 में समिति द्वारा की गई संस्तुति का बंद लिफाफा परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

डा. जे. श्रीदेवी – उप पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का सी.ए.एस. के अंतर्गत ग्रेड पे 9000 से ग्रेड पे 10000 में प्रोन्नत किये जाने हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 05.02.2025 को आयोजित की गई। समिति द्वारा की गई संस्तुति का बंद लिफाफा परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् के समक्ष बन्द लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा निम्नवत संस्तुति की गई –

> "Dr. J. Sridevi presently Deputy Librarian is recommended for the promotion from stage 4 to stage 5 (AGP 9,000 to 10,000 Under CAS) from the date of eligibility."

परिषद् द्वारा चयन समिति की उपर्युक्त संस्तुति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

13. सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22.11.2024 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22.11.2024 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

14. शासन के पत्र संख्या –37/सत्तर–7–2025–बी.एड.(09)/2014टी.सी. दिनांक 05 फरवरी 2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त बी. एड. प्रवेश परीक्षा – 2025 को आयोजित करने हेतु लगातार तीसरी बार बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को नामित किया गया है। परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा हेतु।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या पत्र संख्या –37/सत्तर–7–2025–बी.एड.(09)/2014टी.सी. दिनांक 05 फरवरी 2025 के द्वारा सत्र 2025–27 की राज्य स्तरीय संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा आयोजन का दायित्व लगातार तीसरी बार विश्वविद्यालय को सौंपा गया है।

परिषद् द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश संयुक्त बी. एड. प्रवेश परीक्षा – 2025 को आयोजित करने हेतु शासन से मिले दायित्व पर तालियाँ बजाकर हर्ष व्यक्त किया। वर्ष 2023 एवं 2024 में उत्तर प्रदेश संयुक्त बी. एड. प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन हेतु भी कुलसचिव और कुलपति जी को बधाई दी।

शासन के आदेशानुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15/02/2025 से आमंत्रित किये जा रहे हैं विज्ञापन जारी हो गया है। प्रवेश परीक्षा के कुशल आयोजन/सम्पादन हेतु कुलपति जी की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठित की गयी है जिसमे कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, राज्य समन्वयक, सह–राज्य समन्वयक एवं अन्य सदस्य नामित किये गये है। इसके अतिरिक्त कार्य की प्रकृति के अनुसार अन्य समितियां गठित की जानी हैं। राज्य स्तरीय संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु कोर कमेटी ही शीर्ष निकाय (Apex Body) है तथा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के सभी निर्णयों के लिये सक्षम निकाय है। उपर्युक्त परीक्षा के सम्बन्ध में समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार शीर्ष निकाय (Apex Body) में निहित होंगे तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में आवश्यकतानुसार तात्कालिकता के आधार पर अध्यक्ष/चैयरमैन कोर कमेटी (कुलपति) की अनुमति से कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। उपर्युक्त का परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2025 का अनुमानित बजट, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न पारिश्रमिक की दरें एवं जनपद तथा स्थानीय स्तर परीक्षा कार्य हेतु दिये जाने वाले मानदेय/भुगतान की दरें वित्त समिति की बैठक दिनांक 05/02/2025 के अन्तर्गत अनुमोदित है।

परिषद् ने अनुमानित बजट तथा अन्य दरों का संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

15. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

(1) विज्ञापन संख्या 12/2023–2024 के द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थान + आई.टी.ई.पी. में रिक्त शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये विज्ञापन के सापेक्ष गठित चयन समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 16.08.2024 में प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में कु. नूतन पाण्डेय की नियुक्ति सहायक आचार्य के अनारक्षित वर्ग पद पर नियुक्ति की गई। डा. नूतन पाण्डेय को पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./ 2024/आर.सी./1591 दिनांक 16.08.2024 द्वारा उनकी नियुक्ति की सूचना उनकी मेल पर तथा डाक द्वारा प्रेषित की गई। परन्तु अभी तक उन्होंने उक्त पद पर अपने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तथा न ही कोई सूचना दी गई। अतः उपर्युक्त पद पर जारी प्रतीक्षा सूची पर विचार।

परिषद् के समक्ष डा. नूतन पाण्डेय की पत्रावली प्रस्तुत की गई जिसमें डा. नूतन पाण्डेय को पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./ 2024/आर.सी./1591 दिनांक 16.08.2024 द्वारा उनकी नियुक्ति की सूचना उनकी मेल पर तथा डाक द्वारा प्रेषित किये जाने की सूचना के उपरान्त भी आज दिनांक 07.02.2025 तक उनके द्वारा न तो कार्य भार ग्रहण करने की कोई सूचना दी गई न ही पत्र का कोई उत्तर प्रेषित किया गया। शैक्षणिक कार्यों के सुगम संचालन के दृष्टिगत परिषद् द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डा. नूतन पाण्डेय का अभ्यर्थन निरस्त करते हुये चयन समिति की अनारक्षित श्रेणी की संस्तुति में दी गई प्रतीक्षा सूची में क्रमांक (1) पर अंकित डा. शैलेन्द्र तिवारी को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

(2) श्री नवीन चन्द्र पटेल – शोधार्थी हिन्दी के शोध पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर गठित जॉच समिति की आख्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

श्री नवीन चन्द्र पटेल – शोधर्थी हिन्दी की श्री आशीष पुत्र श्री रामाधार सिंह, कालूकुआं, बांदा द्वारा शोध पत्र श्री नवीन चन्द्र पटेल के प्रकाशित शोध पत्रों के सम्बन्ध में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में शिकायत दिनांक 11.04.2023 एवं 20.04.2023 प्राप्त हुई जिसके साथ साक्ष्य हेतु शोध पत्रों की मूल प्रति संलग्न की जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया कि यू.जी.सी. द्वारा सूचीबद्ध बुक के वैल्यूम –13, के बुक नं.20 के पेज नं.76 से 79 में शोध पत्र पोषण स्तर का निर्धारण तथा पोषण स्तर को गिराने में सहायक कारक में श्री नवीन चन्द्र पटेल के स्थान पर सुनीता कुमार का नाम दर्ज है।

विश्वविद्यालय द्वारा श्री आशीष पुत्र श्री रामाधार सिंह, कालूकुआं, बांदा के शिकायती पत्र पर श्री पटेल से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त पत्र संख्या बु.वि./शोध सेल/2023/5552 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा तीन सदस्यीय जॉच समिति के गठित की गई। समिति के जॉचोपरान्त निष्कर्ष निम्नवत है –

Scanned with OKEN Scanner

"शिकायतकर्ता दो बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। अतः अतिरिक्त अवसर शिकायतकर्ता को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। शोध छात्र द्वारा साक्ष्य के रूप में पूर्व में प्रस्तुत जो प्रति उपलब्ध करायी गयी है, उस कम में पत्रिका के प्रधान सम्पादक प्रो. अशोक कुमार सिंह ने जांच समिति के अध्यक्ष को फोन न. 9532769749 पर बताया कि वह 2019 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं और पत्रिका के सम्पादन एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। पूर्व बैठक दिनांक 29.07.2024 के निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय के पत्रांक बु.वि./शोध सेल/2024/6188 दिनांक 06.09.2024 के कम में श्री नवीन चन्द्र पटेल द्वारा दिनांक 17.09.2025 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया जिसमें पाया यगा कि प्रतिउत्तर आप्रासंगिक है तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल प्रति के विषय में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य शोध छात्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। शोध छात्र द्वारा शोध प्रबन्ध के साथ संलग्न किये गये शोध लेख की छाया प्रति जो कि शोध निर्देशक से अग्रसारित है उसमें तथा प्रतिउत्तर में प्रस्तुत किये गये शोध आलेख के (INDEX) में भिन्नता है। इस सम्बन्ध में शोध छात्र द्वारा अपने पक्ष में कोई प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा मांगे जाने के बावजूद प्रकाशक को प्रेषित किये गये डाक अथवा मेल की प्रति एवं उक्त के सापेक्ष प्रकाशक की सहमति भी शोध छात्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर शोध लेख प्रकाशन प्रामाणिक नहीं हैं। इस प्रकार का कृत्य शैक्षिक अनाचरण के अन्तर्गत है। प्रकाशित कराये जाने की कार्यवधि संदेहास्पद एवं अप्रामाणिक प्रतीत होती है।

जांच समिति का सुझाव है कि शोध छात्र के हितार्थ सक्षम स्तर से निदानात्मक कार्यवाही की जा सकती है। "

परिषद् ने जॉच समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुये जॉच रिपोर्ट की सम्यक समीक्षा कर अग्रेतर संस्तुति / कार्य हेतु शोध उपाधि समिति को संदर्भित किया तथा शोध समिति में परिषद् नामिती के रूप में प्रो. आर. के. सैनी – संकायाध्यक्ष विज्ञान, संकाय को नामित किया।

(3) प्रो. मुन्ना तिवारी – आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पूर्व संस्थाओं में की गई सेवा को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में जोड़े जाने पर विचार।

प्रो. मुन्ना तिवारी, आचार्य की उनकी पूर्व की श्री भगवान महावीर पी.जी. कालेज, फाजिल नगर, कुशीनगर में की गई दिनांक 31.03.2000 से 19.10.2016 तक की प्रवक्ता के पद की सेवाओं को इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़े जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद् को अवगत कराया गया कि प्रो. मुन्ना तिवारी, आचार्य की उनकी पूर्व की श्री भगवान महावीर पी.जी. कालेज, फाजिल नगर, कुशीनगर में की गई दिनांक 31.03.2000 से 19.10.2016 तक की प्रवक्ता के पद की सेवाओं को इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़े जाने के सम्बन्ध में उनके प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2023/23510 दिनांक 15.03.2023 के माध्यम से शासन से मार्गदर्शन मांगा गया। प्रो. तिवारी के सेवा जोड़ने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.07.2023 में परिषद मद संख्या 15(4) पर परिषद शासन से मांगे जाने वाले मार्गदर्शन से अवगत हुई एवं निर्देशित किया कि सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी परिनियम के दृष्टिगत पूर्व कार्यवाहियां, शासन स्तर से निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये की जाये। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 15.03.2023 के कम में शासन द्वारा अपने पत्रांक 193/सत्तर-4-2024 दिनांक 03 जनवरी, 2024 के द्वारा सेवा जोड़े जाने के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेश के कम में आख्या चाही गई। विश्वविद्यालय द्वारा सेवा जोड़े जाने हेतु जारी शासनादेश संख्या

Scanned with OKEN Scanner

1890/सत्तर–6/97–17(39)/94 दिनांक 26.09.1997 में वर्णित प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/5393–97 दिनांक 19.04.2024 के माध्यम से बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गई एवं प्रो. तिवारी की पूर्व की सेवाओं के प्रति कैपिटलाइज्ड वैल्यु आफ पेंशन की धनराशि को वांछित किया गया।

शिक्षा निदेशक (उ0शि0), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र दिनांक 31.05.2024 के कम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2024 को प्रेषित की गई सूचानाओं के परिप्रेक्ष्य में शासन के स्वीकृति आदेश संख्या 1141/सत्तर–4–2024 दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा अपने पत्रांक डिग्री पेंशन/46018/2024–25 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से प्रो. तिवारी की उनकी पूर्व संस्था श्री भगवान महावीर पी.जी. कालेज, फाजिल नगर, कुशीनगर में की गई दिनांक 31.03.2000 से 19.10.2016 तक की प्रवक्ता के पद की सेवाओं के प्रति कैपिटलाइज्ड वैल्यू आफ पेंशन की धनराशि रू0 60,40,421/– मात्र इस विश्वविद्यालय के खाता संख्या 10651533080 में सस्थानान्तरित किये जाने की सूचना दी गई है। प्रो. तिवारी द्वारा दिनांक 07.06.2022 को अपनी पूर्व संस्था श्री भगवान महावीर पी.जी. कालेज, फाजिल नगर, कुशीनगर से त्याग–पत्र दिया गया है एवं प्रो. तिवारी को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2017 में लिये गये निर्णयानुसार वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है।

अतएव प्रो. तिवारी की उनकी पूर्व संस्था में की गई सेवाओं के प्रति कैपिटलाइज्ड वैल्यू आफ पेंशन की धनराशि इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाने तथा शासनादेश दिनांक 26.09.1997 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रो. तिवारी की पूर्व संस्था श्री भगवान महावीर पी.जी. कालेज, फाजिल नगर, कुशीनगर में की गई दिनांक 31.03.2000 से 19.10.2016 तक की प्रवक्ता के पद की सेवाओं को इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़े का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(4) **डा. नईम – सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग द्वारा प्रो. मुन्ना तिवारी – आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग के सम्बन्ध में की गई शिकायतों पर गठित जॉच समिति की आख्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।**

डा. नईम – सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से प्रो. मुन्ना तिवारी – संकायाध्यक्ष कला के विरूद्ध की गई विभिन्न बिन्दुओं (01 से 26) की शिकायत पर जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/7488–96 दिनांक 20.09.2024 द्वारा जॉच समिति गठित की गई।

समिति द्वारा सम्बन्धित पक्षों को पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये सम्यक परीक्षणोपरान्त जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जॉच समिति की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के निष्कर्ष निम्नवत हैं–

"जॉच समिति द्वारा प्रश्नगत शिकायती पत्र में वर्णित बिन्दुओं (1 से 26) पर विस्तृत विचार विमर्श एवं उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों, दस्तावेजों के अनुशीलन एवं परीक्षणोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के किसी भी बिन्दु पर कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाया है। इससे सिद्ध होता है कि शिकायतकर्ता ने झूठी और भ्रामक शिकायत की है। उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता का उद्देश्य जॉच में सहयोग न करते हुये जॉच को परिणति तक न पहुॅचने देना है। शिकायतकर्ता का एक विधि सम्मत सुसंस्थापित विभाग के प्रति व्यक्तिगत दुराग्रहों से प्रेरित होकर संचार माध्यमों / सरकारी विभागों में शिकायत करके छात्र– छात्राओं और समाज में भ्रम पैदा करने का कार्य किया है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के आलोक में जाँच समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुँचती है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों, पत्रावलियों एवं शासनादेशों के परीक्षणोपरान्त शिकायतकर्ता (डा. मु. नईम) द्वारा डा. मुन्ना तिवारी के विरूद्ध की गई शिकायत प्रमाणित नहीं होती है। शिकायत का निस्तारण उक्तानुसार किये जाने की समिति संस्तुति करती है।"

समिति के आख्या को परिषद् ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। परिषद् ने मन्तव्य स्थिर किया कि डा. नईम द्वारा व्यक्तिगत दुराग्रह से ग्रसित होकर प्रो. मुन्ना तिवारी की शिकायत की गई है। डा. नईम द्वारा नियमतः स्थापित हिन्दी विभाग एवं उसके शासन से सृजित पदो के सम्बन्ध में भ्रमात्मक तथ्य प्रसारित करने को परिषद् ने गम्भीरता से लेते हुये डा. नईम के विरूद्ध सर्वसम्मति से निन्दा प्रस्ताव पारित किया तथा डा. नईम को एक कठोर चेतावनी पत्र निर्गत करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे भविष्य में कोई अन्य शिक्षक, शिक्षक आचरण संहिता के प्रतिकूल आचरण करने का प्रयास न कर सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. मुकेश पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्य परिषद की बैठक 01/2025 दिनांक 07.02.2025 की कार्यवाही (पूरक कार्यवाही)–

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद –

1. डा0 राधिका चौधरी, सहायक आचार्य, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को डा0 हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश में सह आचार्य (व्यवसाय प्रबन्धन) के पद कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वीकृत एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश के परिप्रेक्ष्य में पुनः इस विश्वविद्यालय (पैतृक विश्वविद्यालय) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2024 परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय में एस.एफ.एस. के अन्तर्गत अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत डा0 राधिका चौधरी को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2024/4480–86 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा डा0 हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0) में सह आचार्य(व्यवसाय प्रबन्धन) पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु याचित दिनांक 23.12.2023 से 22.12. 2024 तक कुल एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत किया गया था एवं दिनांक 22.12.2023 की अपराह्न से इन्हें कार्यमुक्त किया गया था। डा0 राधिका चौधरी द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि (लियन अवधि) में अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2024 के द्वारा इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुरोध किया गया। डा0 चौधरी की डा0 हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, जबलपुर में दाखिल याचिका के कम में परिषद द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि डा0 राधिका चौधरी का डा0 हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0) में नियुक्ति का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उनको माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन सहायक आचार्य के पद पर बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग में दिनांक 18.12.2024 से इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त कार्यभार ग्रहण मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। परिषद ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि किसी भी प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व डा0 राधिका चौधरी का होगा।

(प्रो. मुकेश पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव/सचिव

Scanned with OKEN Scanner